



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—१, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2016 ई०

अग्रहायण २८, १९३८ शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या ३४४ / XXXVI (3) / २०१६ / ७१(१) / २०१६

देहरादून, 19 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय विधेयक, २०१६” पर दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या ३९ वर्ष, २०१६ के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 39, वर्ष 2016)

तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा एवं दन्त चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा, उद्योगशाली शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों की शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य से सम्बन्धित शिक्षा प्रदान के उद्देश्य से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण एकट के अधीन पंजीकृत "भगवंत एजूकेशन फाउण्डेशन" (सोसायटी) नई दिल्ली (पंजीकरण सं० 5-42899 / 2002 वर्ष 2002) द्वारा प्रायोजित भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड नामक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उसके निगमन के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सङ्गसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय — एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 है।
 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करें।
2. जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा कोई अपेक्षित न हो, इस अधिनियम, 2016 में :-
 (क) 'विद्या परिषद' से विश्वविद्यालय का विद्या परिषद अभिप्रेत है;
 (ख) 'प्राधिकारी' से विश्वविद्यालय का प्राधिकारी अभिप्रेत है;
 (ग) 'व्यवस्थापक मण्डल' से विश्वविद्यालय का व्यवस्थापक मण्डल अभिप्रेत है;
 (घ) 'प्रबन्ध मण्डल' से विश्वविद्यालय का प्रबन्ध मण्डल अभिप्रेत है;
 (ङ) 'पाठ्यक्रम मण्डल' से विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम मण्डल अभिप्रेत है;
 (च) 'परीक्षा मण्डल' से विश्वविद्यालय का परीक्षा मण्डल अभिप्रेत है;
 (छ) 'कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक, संकायाध्यक्ष' एवं वित्त अधिकारी से क्रमानुसार विश्वविद्यालय के 'कुलाधिपति, प्रतिकुलाधिपति 'कुलपति', 'प्रतिकुलपति', 'कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक, संकायाध्यक्ष' एवं वित्त अधिकारी अभिप्रेत हैं;
 (ज) 'परिसर' से विश्वविद्यालय का परिसर अभिप्रेत है;
 (झ) 'संघटक महाविद्यालय' से विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा प्रबन्धित किसी महाविद्यालय या संस्था अभिप्रेत है;
 (ञ) 'कैरियर एकेडमी सेण्टर' से ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, मान्य एवं अनुरक्षित हो, जिसका उपयोग दूरदृश्य प्रसारण प्राप्त करने, ई-मेल, इन्टरनेट पारस्परिक संवाद प्रशिक्षण, व्याख्यान, गोष्ठी एवं कार्यशाला आयोजित करने, विद्यार्थियों के लिए सलाह, परामर्श एवं अन्य सहायता के उद्देश्य से किया गया हो;
- (ट) 'परिसर के 'निदेशक' या संघटक महाविद्यालय के समन्वय में प्राचार्य/डीन से है, उस परिसर या संघटक महाविद्यालय का प्रधान अभिप्रेत है और जहाँ प्राचार्य/डीन नहीं है, उप प्राचार्य या तत्समय प्राचार्य/डीन के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति भी समिलित है;
- (ठ) 'दूरस्थ शिक्षा पद्धति' से राज्य के भीतर शिक्षा की वह पद्धति अभिप्रेत है, जिसमें शिक्षण के लिए ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार माध्यम जैसे मल्टीमीडिया, प्रसारण, दूरदृश्य प्रसारण (टेलीकार्सिंग), इन्टरनेट पर ऑनलाइन, दूरसंचार की अन्य पारस्परिक विधियाँ, ई-मेल इन्टरनेट, कम्प्यूटर, पारस्परिक संवाद, ई-लाईन, पत्राधार पाठ्यक्रम, गोष्ठी, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग किया गया हो;

- (ब) 'जना राशि' से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये गए ऐसी राशि अभिप्रेत है, जो कि वापसी योग्य है;
- (द) 'संकायाध्यक्ष' से विश्वविद्यालय का संकायाध्यक्ष (डीन) अभिप्रेत है;
- (ण) 'विभाग' से विश्वविद्यालय का विभाग (शैक्षिक इकाई) अभिप्रेत है, जिसमें एक या एक से अधिक विषयों में अध्ययन व शोध कार्य किया जा रहा हो;
- (त) 'कर्मचारी' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कर्मचारी अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय, या किसी संघटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारी भी समिलित हैं;
- (थ) 'वित्त समिति' से विश्वविद्यालय की वित्त समिति अभिप्रेत है;
- (द) 'संकाय' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;
- (ध) 'शुल्क' से विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों से लिये गए ऐसी राशि अभिप्रेत है, जो कि शुल्क के तहत आती है एवं वापसी योग्य नहीं है;
- (न) 'सरकार' से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;
- (प) 'छात्रावास' से विश्वविद्यालय अथवा संघटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित तथा मान्य छात्रों के आवास की इकाई अभिप्रेत है;
- (फ) "प्रायोजक संस्था" से सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसायटी "भगवंत एजूकेशन फाउण्डेशन" (पंजीकरण सं० S-42899 / 2002 वर्ष 2002) अथवा यथा स्थिति नियमानुसार अस्तित्व में आये उसकी उत्तरवर्ती प्रायोजक संस्था अभिप्रेत है;
- (भ) 'विहित' से परिनियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (म) 'स्थायी निवासी' से राज्य का ऐसा निवासी अभिप्रेत है, जिसके पास राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनाये गये नियमों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में मूल निवास/स्थायी निवास का वैध प्रमाण पत्र हो;
- (य) 'क्षेत्रीय केन्द्र' से ऐसा केन्द्र अभिप्रेत है, जिसको स्थापना या अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किसी क्षेत्र में स्थित अध्ययन केन्द्रों के समन्वय, पर्योक्षण तथा ऐसे केन्द्र में अन्य प्रदत्त कार्यों जैसे प्रदेश, धरीका आदि कार्यों के निष्पादन को उद्देश्य से प्रबन्ध सम्भल द्वारा किया गया हो;
- (य क) 'राज्य' से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है;
- (य ख) 'परिनियम', नियम और अध्यादेश' से विश्वविद्यालय के परिनियम, नियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं;
- (य ग) 'अध्ययन केन्द्र' से विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐसे केन्द्र अभिप्रेत है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विद्यार्थियों को सलाह, परामर्श या अन्य सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया हो;
- (य घ) 'अध्यापक' से आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य/थार्थाता एवं ऐसे अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विश्वविद्यालय या इसके किसी परिसर या किसी संघटक महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने, या शोध कार्य के संचालन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुरूप नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी परिसर के निदेशक या संघटक महाविद्यालय का प्राचार्य/डीन भी आता है;
- (य ङ) 'य०जी०सी०' से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के आधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है;
- (य च) 'विश्वविद्यालय' से इस अधिनियम के अधीन प्रस्तावित भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;
- (य छ) 'निकाय' से विश्वविद्यालय का निकाय अभिप्रेत है;
- (य ज) 'कुलाध्यक्ष' (विजिटर) से विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

अध्याय - दो विश्वविद्यालय के उद्दर्देश्य

3. (1) प्रायोजित संस्था अर्थात् 'भगवंत एज्यूकेशन फाउण्डेशन' (पंजीकरण सं० S-42899 / 2002 वर्ष 2002) नई दिल्ली, को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार 'भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय' स्थापित करने का अधिकार होगा।

- (2) विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर ग्राम झाणडी चौड़ा, तहसील कोटद्वार, जिला-पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा तथा उसका अन्य परिसर अथवा क्षेत्रीय केन्द्र, अध्ययन केन्द्र की स्थापना अन्य स्थानों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा सकेगा। विश्वविद्यालय राज्य में राज्य सरकार की पूर्वानुमति से अपना द्वितीय परिसर स्थापित कर सकेगा।
- (3) राज्य सरकार आवश्यक जांच करने के उपरान्त संतुष्ट है कि प्रायोजित संस्था ने सभी शर्तें और आवश्यकताओं को पूर्ण कर लिया गया है और 'भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय' ज्ञात नाम से उत्तराखण्ड राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाता है।
- (4) विश्वविद्यालय 'भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय' के नाम से एक नियमित निकाय होगा और उसे साश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी तथा वह अपने नाम से वाद योजित कर सकेगा और उस पर वाद योजित किया जा सकेगा।
- (क) विश्वविद्यालय को अन्य विभाग/विषय प्रारम्भ करने के लिए, यदि अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो, जैसे कि संवैधानिक निकायों के मानकानुसार आवश्यकता हो, विश्वविद्यालय या तो मुख्य परिसर से सटा हुआ या अलग (स्प्लिट) परिसर जिला-पौड़ी गढ़वाल या उत्तराखण्ड में किसी और क्षेत्र में ही स्थापित कर सकेगा।
- (5) विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव एवं व्यवस्थापक मण्डल, प्रबन्ध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्य इस प्रकार स्थापित विश्वविद्यालय में तत्समय उक्त पदों पर कार्य करते हुये नियमित निकाय गठित कर सकेंगे और विश्वविद्यालय के नाम से वाद योजित कर सकेंगे व उन पर वाद योजित जा सकेगा।
- (6) उपधारा (1) के आधीन विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए अधिगृहीत, निर्मित व्यवस्थित अथवा सृजित भूमि चल एवं अचल सम्पत्तियां, प्रायोजित संस्था की सम्पत्तियों को छोड़कर विश्वविद्यालय को अन्तरित एवं उसमें निहित हो जायेंगी।
- (7) विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध भूमि, भवन, विभिन्न विभागों/संकाय के संचालित समस्त पाद्यक्रम हेतु सम्बन्धित सर्वोच्च नियामक आयोग के मामलों के अनुसार होना आवश्यक होगा।
- (8) विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर, परिसर व अध्ययन केन्द्र आदि में आधारभूत एवं अन्य सुविधाएं यू०जी०सी० एवं शीर्ष वैधानिक नियामक संस्थानों के मानकों के अनुरूप होंगी।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

4

विश्वविद्यालय स्व: वित्तपोषित होगा और वह राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वधीन, या नियंत्रणधीन किसी अन्य निकाय, या निगम से किसी सहायता, अनुदान या किसी अन्य वित्तीय सहायता की न तो कोई मांग करेगा और न ही उसके लिए हकदार होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

5.

राज्य के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र, किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी। विश्वविद्यालय अन्य अनुसंधान संस्थान व अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सामुहिक अनुसंधान कार्य एवं शिक्षण कार्य कर सकता है।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6

जिन उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, वे निम्नवत् हैं:-

- (क) शिक्षण, प्रशिक्षण निर्देश, और अनुसंधान प्रदान करने के लिए जो कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, एम०फिल०, पी०एच०डी०, और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान की व्यवस्था इन विषयों में करेंगे: कला, विज्ञान, और वाणिज्य, कानून और प्रशासन, भाषा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, प्लॉनिंग एंड आर्किटेक्चर, चिकित्सा (चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, दंत चिकित्सा स्वच्छता एवं ट्रॉपिकल मेडिसिन, नर्सिंग), व्यापार और प्रबन्धन, शिक्षा, कृषि, बागवानी वानिकी, भूत्य पालन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, फार्मेसी, पशु चिकित्सा, पशुपालन, डेयरी, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, मीडिया पत्रकारिता, फिल्म और टीवी प्रौद्योगिकी, मास कम्युनिकेशन, फायर एण्ड सैफटी, सेनेटरी विज्ञान एवं सामाजिक कार्य, इंटरनेशनल स्टडीज, विदेश व्यापार, विमानन, ऑनलाइन ई-कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा, संगीत, धर्म, धर्मशाला। अन्य कार्यक्रम/विषय जो कि शैक्षणिक परिषद और प्रबन्धन बोर्ड द्वारा विधिवत् स्थीकृत हो एवं
 (एक) मानव संसाधन के बीद्विक विकास के लिए आवश्यक हो,
 (दो) शिक्षा के किसी भी अन्य क्षेत्र के विषय जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 समय-समय पर यथासंशोधित की द्वारा 22 में सूचीबद्ध हो।
 (ख) परिसर की स्थापना तथा सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री, पी.एच.डी. एवं पोस्ट डॉक्टरल डिग्री, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामकरण किया गया हो को स्थापित करना एवं प्रदान करना, किन्तु विश्वविद्यालय को अपने उद्देश्यों को प्रोत्साहन हेतु ऐसे नये अन्य डिग्री डिप्लोमा और प्रमाण पत्र पाद्यक्रम प्रदान करने का अधिकार होगा;

- (ग) उपर्युक्त खण्ड (क) में उल्लिखित पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षण प्रदान करने के लिए अनवरत शिक्षा के आधीन राज्य में संघटक केन्द्र की स्थापना;
- (घ) राज्य की सीमाओं के भीतर ऑनलाइन/ऑफ लाइन परीक्षा केन्द्रों की स्थापना करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय को नियमित व मानद डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र व अन्य शैक्षिक उपाधि, परीक्षाओं अथवा अन्य प्रणाली, सामाजिक एवं अन्य क्षेत्रों में योगदान के आधार पर प्रदान करना;
- (च) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति से अन्य राज्यों में परिसर की स्थापना करना;
- (छ) विश्वविद्यालय द्वारा क्षेत्रों में अनुसंधान एवं नवीन परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास केन्द्र की स्थापना द्वारा अध्ययन गोष्ठियां, अधिवेशन, कार्य शिविर, शैक्षणिक कार्यक्रम सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रकाशन, सामुदायिक रेडियो, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं समूह अध्ययन, इत्यादि करना;
- (ज) वाह्य अध्ययन, विस्तार कार्यक्रम एवं वाह्य क्षेत्रीय गतिविधियों द्वारा समाज के विकास में अपना योगदान देना;
- (झ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्राविधान एवं नियमों के अन्तर्गत ऑफ-शौर कैम्पस की स्थापना करना; और
- (ञ) जैसे कि आवश्यक हो, ऐसे सभी कार्य करना, जो विश्वविद्यालय के समस्त या किन्ही उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, प्रासंगिक एवं सहायक हो।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

7. (1) विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी; अर्थात्:-

- (क) शिक्षण, प्रशिक्षण निर्देश, और अनुसंधान प्रदान करने के लिए जो कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, एम.फिल, पीएचडी, और पोस्ट डॉक्टरल अनुसंधान की व्यवस्था इन विषयों में करेंगे: कला, विज्ञान और वाणिज्य, कानून और प्रशासन, भाषा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, चिकित्सा (चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, दंत चिकित्सा, स्वच्छता एवं ट्रॉपिकल मेडिसिन, नर्सिंग), व्यापार और प्रबंधन, शिक्षा, कृषि, बागवानी, वानिकी, भूत्या पालन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, फार्मसी, पशु विकित्सा, पशुपालन, डेयरी, फिजियोथेरेपी, पैरामेडिकल, भौतिक्या, पत्रकारिता, फिल्म और टीवी प्रौद्योगिकी, भास कन्फुनिकेशन, फायर एंड सेफ्टी, सेनेटरी विज्ञान एवं सामाजिक कार्य, इंटरनेशनल स्टडीज, विदेश व्यापार, विमानन, ऑनलाइन ई-कार्यक्रम, दूरस्थ शिक्षा, संगीत, धर्म, धर्मशास्त्र। अन्य कार्यक्रम/विषय जो कि शैक्षणिक परिषद और प्रबन्धन बोर्ड, द्वारा विधिवत स्वीकृत हो एवं
- (एक) मानव संसाधन के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक हो,
- (दो) शिक्षा के किसी भी अन्य क्षेत्र के विषय जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 समय-समय पर यथासंशोधित की धारा 22 में सूचीबद्ध हो एवं अन्य क्षेत्रों में अध्ययन, अध्यापन, परीक्षण एवं शोध कार्य, शिक्षण व्यवस्था करना तथा अनुसंधान एवं ज्ञान के अभिवर्धन और प्रसार का प्राविधान करना;
- (ख) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऐसी अन्य समस्त गतिविधियाँ सम्पादित करना, जो आवश्यक अथवा साध्य हों;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना तथा उन्हे उपाधिया या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें संस्थित और प्रदान करना जिन्होंने:-
- (एक) विश्वविद्यालय या इसके परिषर या दूरस्थ शिक्षा पद्धति के आधीन क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों या कैरियर एकेडमी सेन्टर्स में शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; अथवा
- (दो) विश्वविद्यालय या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धति के आधीन शोध कार्य किया हो;
- (घ) परिनियमों/प्राविधानों/अध्यादेशों में अभिकथित रीति से और शर्तों के आधीन मानद उपाधियों, या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;
- (ङ) परिनियमों के अनुसार अध्येता, तथा पुरस्कार संस्थित एवं प्रदान करना;
- परिनियमों के अनुसार अध्येता, तथा प्रमात्र संग्रह करना, और

- (छ) ऐसे क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों की, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वानुमति से, स्थापना करना, अनुरक्षण करना एवं मान्यता प्रदान करना जैसे समय-समय पर विश्वविद्यालय के परिनियमों में निर्दिष्ट रीति द्वारा निर्धारित किया जाए। इस सम्बन्ध में समय-समय पर यथाप्रवृत्त राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों का अनुसरण किया जायेगा;
- (ज) विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए शिक्षा के अतिरिक्त पाठ्योत्तर अन्य गतिविधियों की व्यवस्था करना;
- (झ) विश्वविद्यालय अध्यवा इसके परिसर या क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों तथा कैरियर एकेडमी केन्द्रों में संकाय अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना;
- (झ) प्रायोजित संस्था के पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय इसके परिसर या क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स के प्रयोजनार्थ दान और किसी प्रकार के उपहार प्राप्त करना तथा न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों सहित किसी चल-अचल संपत्ति का अधिग्रहण करना, धारण करना, प्रबन्ध करना, अनुरक्षण करना और निपटारा करना;
- (ट) विश्वविद्यालय इसके परिसर के छात्रों के लिए हॉल/छात्रावास स्थापना और उनका अनुरक्षण करना और निवास स्थानों को निश्चित करना;
- (ठ) आवास का नियन्त्रण करना, पर्यवेक्षण करना और समस्त श्रेणी के कर्मचारियों एवं छात्रों में मध्य अनुशासन पर नियन्त्रण रखना तथा आचार सहित सहित ऐसे कार्मचारियों की सेवा शर्त विनिर्दिष्ट करना;
- (ड) शैक्षणिक प्रशासनिक एवं सहायक कर्मचारियों और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना;
- (इ) भारत या विदेशों के संस्थानों, संगठनों, विश्वविद्यालयों, व्यक्ति विशेषों, उद्योग एवं संस्थाओं के साथ ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजन के लिए सहकार्य और सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय समय-समय पर अवधारित करे;
- (ण) राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा पद्धति और ऐसी रीति की व्यवस्था करना जिससे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों के अनुसार दूरस्थ शिक्षा को आयोजित किया जा सके;
- (त) शिक्षकों, अध्यापकों, पाठ्यलेखकों, मूल्यांककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए पुनर्वर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाये, संगोष्ठियां और अन्य कार्यक्रम आयोजित और संचालित करना;
- (थ) विश्वविद्यालय इसके परिसर या क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स में विशिष्ट समीतियों के माध्यम से एवं विद्यापरिषद के अनुमोदन से प्रवेश के लिए मानक अवधारित करना;
- (द) विश्वविद्यालय इसके परिसर या क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों, और कैरियर एकेडमिक सेण्टर्स में किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी के लिए योग्यता के आधार पर विशेष व्यवस्था करना;
- (घ) विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, विकित्या एवं दन्त शिक्षा, विधि शिक्षा, उद्डलयन शिक्षा, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान एवं अन्य विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर, डाक्टर ऑफ फेलासफी डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधियों एवं शोध कार्य के लिए ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित करना जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग व अन्य वैधानिक परिषदों के अन्तर्गत आते हैं, किन्तु राज्य सरकार द्वारा घोषित विषयों में डिप्लोमा प्रमाण-पत्र आदि दिये जाने के सम्बन्ध में अपना पाठ्यक्रम आरम्भ करने का विश्वविद्यालय को अधिकार प्राप्त होगा;
- (ङ) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, प्रायोजित संस्था की गतिविधियों से स्पष्टतया विलग होंगी;
- (ঁ) फिल्म कैसेट, टेप, ऑडियो, विडियो कैसेट, सी.डी., डी.वी.डी. और अन्य साप्टवेयर इत्यादि सहित शैक्षणिक सामग्री तैयार करने की व्यवस्था करना;
- (ঁঁ) अन्य विश्वविद्यालय संस्थाओं एवं उच्च शिक्षा केन्द्रों की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि (पूर्ण अध्यवा आर्थिक) को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं अथवा अध्ययन की अवधि के समतुल्य मान्यता प्रदान करना और उनको दी गयी मान्यता को किसी भी समय समाप्त करना;
- (ঁঁঁ) व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिमूलि पर या उसके बिना विश्वविद्यालय के लिए धन जुटाना, संग्रह करना, स्वीकार करना और ऋणप्राप्त करना;

- (भ) विश्वविद्यालय के हित में संविदा करना, उसका निष्पादन करना, उसमें परिवर्तन या उसे समाप्त करना;
 - (म) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अप्रसर करने के लिए यथा आवश्यक व संभय ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के अनुबंधिक हो या न हो;
 - (य) एक कानूनी इकाई के रूप में अपने प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से किसी भी न्यायालय, द्रिघूनल या प्राधिकरण में अपने नाम से बाद लाना और बाद योजित करना।
- (2) तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विश्वविद्यालय और राज्य सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्वानुमति से दूरस्थ शिक्षा प्रणालियों के प्रोत्साहन करने तथा ऐसी प्रणालियों के शिक्षण, मुल्यांकन और शोध मानक निर्धारित करने के लिए वे सभी उपाय करना विश्वविद्यालय का कर्तव्य होगा, जो वह उचित समझे और इस कार्य के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स को चाहे उन्हें विशेषाधिकार स्वीकृत हुए हों अथवा नहीं अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या उच्च शिक्षा संस्थान को अनुमोदनों के आवंटन एवं सवितरण की शक्ति सहित ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें।

विश्वविद्यालय में सभी वर्ग, 8. जाति एवं लिंग की पहुँच होगी

विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए चाहे वे किसी वर्ग, जाति, लिंग एवं राष्ट्रीयता के हों, के प्रवेश के लिए खुला रहेगा;

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा, कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए विशेष प्राविधिक करने की प्रतिबन्ध है:

परन्तु यह और कि इस धारा के किसी बात के होते हुये यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय या किसी संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स द्वारा किसी भी पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देना अपेक्षित है।

राष्ट्रीय प्रत्यायन

9. विश्वविद्यालय विभिन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्थाओं से मान्यता प्राप्त करेगा, यदि आवश्यक हो।

अध्याय – तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

- (क) कुलाध्यक्ष (विजिटर)
- (ख) कुलाधिपति;
- (ग) प्रति-कुलाधिपति
- (घ) कुलपति;
- (ड.) प्रति-कुलपति;
- (च) कुलसचिव;
- (छ) संकायाध्यक्ष;
- (ज) वित्त अधिकारी; और
- (झ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाए।

कुलाध्यक्ष (विजिटर)

11. (1) उत्तराखण्ड के शाज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष होंगे।
(2) कुलाध्यक्ष, जब उपस्थित हों, तो उपाधियां एवं डिप्लोमा प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
(3) कुलाध्यक्ष की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:-
(क) विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली से सम्बन्धित किसी भी अभिलेख, प्रत्र या सूचना को मांगना;

(ख) कुलाध्यक्ष को प्राप्त सूचना के आधार पर, यदि वह सन्तुष्ट हो कि कोई आदेश, कार्यवृत्त, या निर्णय, जो विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी द्वारा लिया गया हो, अधिनियम, विनियम, परिनियम अथवा नियम के अनुरूप नहीं हैं तो वह ऐसे निर्देश जारी कर सकेंगे, जिन्हें वह विश्वविद्यालय के हित में उचित समझे और इस प्रकार जारी किये गये निर्देशों का सभी सम्बन्धितों द्वारा अनुपालन किया जायेगा;

(ग) मानद उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव पर कुलाध्यक्ष का अनुमोदन लिया जाना होगा।

कुलाधिपति

12. (1) प्रयोजित संस्था (प्रमोटिंग सोसायटी), अपने सदस्यों में से एक सदस्य या उसके द्वारा सर्वसम्मति से किसी अन्य को 'कुलाधिपति' नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके आधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायेंगी।

(3) कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्—

(क) कोई भी सूचना या अभिलेख मांगने का अधिकार

(ख) ऐसी अन्य शक्तियां जो इस अधिनियम में विहित की गयी हो।

13. (1) प्रयोजित संस्था (प्रमोटिंग सोसायटी), अपने सदस्यों में से एक सदस्य या उसके द्वारा सर्वसम्मति से किसी अन्य को प्रति—कुलाधिपति नियुक्त किया जा सकेगा।

(2) प्रति—कुलाधिपति को ऐसी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उसे इस अधिनियम, या इसके आधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा प्रदान की जायेंगी।

कुलपति

14. (1) कुलाधिपति द्वारा उपधारा (2) के उपबन्धो के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से तीन वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित की जायें, कुलपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे: अर्थात्—

(क) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य,

(ख) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव,

(ग) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा मनोनीत तीन सदस्य जिनमें से एक को व्यवस्थापक मण्डल द्वारा सीमित के सायोजक के रूप में नामित किया जायेगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति के पद के योग्य तीन व्यक्तियों का पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्याताओं तथा अन्य विशिष्टताओं के सक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक, प्रशासनिक और शैक्षणिक अधिकारी होगा, जो कि विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियन्त्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्रधिकारियों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसी अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके आधीन विश्वविद्यालय के किसी सशक्त अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सकी तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या नियमावली द्वारा अभिकथित किये जायें।

(7) कुलाधिपति को सम्यक जांच के उपरान्त, कुलपति को हटाने का अधिकार प्राप्त होगा। कुलाधिपति, जांच के दौरान आरापों की गम्भीरता को दृष्टीगत रखते हुए, जैसा वह उचित समझे, कुलपति को निलम्बित कर सकेगा।

प्रति—कुलपति

15. प्रति कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जा सकेगी, जैसी कि परिनियमों में विहित की जायें और प्रति कुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें।

कुलसचिव

16. (1) कुलसचिव की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से एवं ऐसे निबन्धो और शर्तों पर की जायेगी, जैसे विहित की जायें।

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदांए करेगा और उन्हे हस्ताक्षित करेगा।

(३) कुलसचिव के विश्वविद्यालय को द्वारा से अभिलेखों को अभिप्राप्ति करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें, या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षित है।

(४) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक् अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलपति, कुलपति या किसी अन्य उचित प्राधिकारी के समझ ऐसी समस्त सूचनायें और दस्तावेज, जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

- | | | |
|-----------------|----|---|
| संकायाध्यक्ष | 17 | संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा कुलपति की पुर्वानुमोदन से ऐसी रीति से की जायेगी कि परिनियमों द्वारा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें। |
| वित्त अधिकारी | 18 | वित्त अधिकारी कुलपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो कि परिनियमों द्वारा विहित किये जायें। |
| अन्य अधिकारी गण | 19 | विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा के नियम व शर्तें तथा शक्तियों कर्तव्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायें। |

अध्याय-चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- | | | |
|-----------------------------|-----|--|
| विश्वविद्यालय के प्राधिकारी | 20. | विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे; अर्थात् :-
(क) व्यवस्थापक मण्डल;
(ख) प्रबन्धक मण्डल;
(ग) विद्या परिषद्;
(घ) वित्त समिति; और
(ङ.) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियमों में प्राधिकारी घोषित किये जायें। |
|-----------------------------|-----|--|

- | | | |
|----------------------------------|-----|---|
| व्यवस्थापक मण्डल व उसकी शक्तियों | 21. | (१) व्यवस्थापक मण्डल में निम्नलिखित होंगे:-
(क) कुलपति व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष होंगे;
(ख) माठ-विधानसभा के दो क्षेत्रीय सदस्य;
(ग) व्यवस्थापक मण्डल का सह अध्यक्ष, प्रायोजित संस्था के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को नामित किया जायेगा।
(घ) कुलपति - सदस्य सचिव;
(ङ.) कुलाध्यक्ष द्वारा नामित-तीन शिक्षा विद;
(च) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित नामी उद्योग/कॉर्पोरेट/प्रोफेशनल जगत के विशेषज्ञ - दो सदस्य;
(छ) प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में से प्रायोजित संस्था द्वारा नामित - एक सदस्य;
(२) व्यवस्थापक मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासनिक संस्था होगी और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :-
(क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नितियों का निर्धारण;
(ख) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों को विनियमों का, यदि वे ऐसे अधिनियम या परिनियमों या नियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हों, का पुनर्विलोकन;
(ग) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक प्रतिवेदन का अनुमोदन;
(घ) नयी अथवा अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या पूर्व में बने परिनियमों अथवा नियमावलियों का संसोधन या निरसन; |
|----------------------------------|-----|---|

- (ड.) विश्वविद्यालय के स्थैचिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना;
- (च) राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों का अनुमोदन करना;
- (छ) ऐसे निर्णय एवं प्रयास करना, जो विश्वविद्यालय के उददेश्यों के प्रभावी ढंग से निष्पादन के लिए यांचनीय पाये गये हैं;
- (ज) विश्वविद्यालय के संवैधानिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना, और
- (झ) विश्वविद्यालय के सभी खार्टों को खोलना, बन्द करना, संचालित करना व प्रबन्ध करने हेतु अधिकारी एवं अधिकारियों को नियुक्त व अधिकृत करना।
- (३) व्यवस्थापक मण्डल की वर्ष में न्यूनतम दो बैठके ऐसे समय और स्थान पर होंगी, जैसा कि व्यवस्थापक मण्डल के अध्यक्ष उचित समझें।
- (४) कारोबार संचालन के लिए गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

प्रबन्ध मण्डल

22. (१) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् –
- (क) प्रति-कुलाधिपति – विशेष आमंत्रित सदस्य।
 - (ख) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ग) प्रति-कुलपति (यदि हैं तो);
 - (घ) कुलाधिपति द्वारा नामित एक अधिकारी;
 - (ङ) प्रायोजित संस्था द्वारा पांच सदस्य;
 - (च) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर नामित दो प्राध्यापक;
 - (छ) कुलाधिपति द्वारा नामित चक्रिय आधार पर दो संकायाध्यक्ष;
 - (ज) राज्य सरकार के उच्च शिक्षा के प्रमुख सचिव/सचिव
 - (झ) कुलसचिव गैर – सदस्य सचिव होंगा।
- (२) प्रबन्ध मण्डल, विश्वविद्यालय की मुख्य प्रबन्धकीय संस्था होगी।
- (३) प्रबन्ध मण्डल की शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा परिनियमों द्वारा विहित किया जाये।

विद्या परिषद

23. (१) विद्या परिषद के निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् –
- (क) कुलपति – अध्यक्ष;
 - (ख) कुलसचिव – सचिव;
 - (ग) ऐसे अन्य सदस्य, जैसा परिनियमों से विहित किया जाये।
- (२) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम के आधीन निर्भित नियमों व परिनियमों के अन्तर्गत रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
- (३) विद्या परिषद की शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे, जैसा परिनियमों द्वारा विहित किये जाए।

वित्त समिति

24. (१) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात् –
- (क) कुलाधिपति – सभापति
 - (ख) वित्त अधिकारी – सचिव
 - (ग) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम में विहित किये जायें।
 - (घ) कुलाधिपति द्वारा नामित एक बहाय वित्तीय विशेषज्ञ।
- (२) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्त निकाय होगी, जो वित्तीय मामलों की वेखभाल करेगी और इस अधिनियम के आधीन निर्भित नियमों, परिनियमों तथा नियमावली के अध्याधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों में समन्वय स्थापित करेगी एवं उसका सामान्य पर्यवेक्षण करेगी।
- (३) वित्त समिति की शक्तियां एवं कृत्य यही होंगी, जो परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

- | | |
|--|---|
| अन्य प्राधिकरण | 25. विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियों और कृत्य ऐसे होंगे, जैसे की परिनियमों द्वारा विहित किये जाएं। |
| रिवित के कारण कार्यवाही का अधिमान्य न होना | 26. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अधिमान्य न होगी कि प्राधिकरण के गठन में कोई रिवित या ब्रुटि विद्यमान थी। |

अध्याय — पाँच

परिनियम और नियम

- | | |
|---------|--|
| परिनियम | 27. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय तथा कर्मचारियों के सम्बन्ध में सभी या किसी विषय के लिए परिनियम और नियमावली के द्वारा व्यवस्था की जा सकेगी, जो निम्नवत है—
<ul style="list-style-type: none"> (क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य — संपादन और ऐसी इकाईयों के गठन की प्रक्रिया, जो इस अधिनियम में विर्णविष्ट नहीं की गयी है; (ख) स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का संचालन, (ग) कुलपति, प्रति कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की नियम व शर्तें तथा उनके शक्तियां व कृत्य; (घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों ओर कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और सेवा शर्तें; (ङ.) विभागों और संकायों का सृजन, उत्साहन और उसकी पुर्णसंरचना; (च) अन्य विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति; (ज) मानदू उपाधियों को प्रदान करने की प्रक्रिया; (झ) निःशुल्कता और छात्रवृत्तियां प्रदान करना; (ञ) विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों की संख्या तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रदेश की प्रक्रिया, जिसमें उत्तराखण्ड स्थायी निवासियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था भी सम्मालित है; (ट) विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क; (ठ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, निःशुल्कता, पदक और पुरस्कार की संस्थित करना; (ड) पदों का सृजन और समापन करना; (ढ) विश्वविद्यालय के छात्रों / कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही; (ण) अन्य मामले जो विहित किये जायें; (त) कुलाधिपति की नियुक्ति उनकी शक्तियों एवं कृत्य; |
|---------|--|

- | | |
|----------------------------------|--|
| परिनियम कैसे बनाये जायेंगे | 28. (1) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये गये प्रथम परिनियम आवश्यक रूप से राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे। |
| परिनियम में संशोधन करने की शक्ति | 29. व्यवस्थापक मण्डल राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा। |
| नियम | 30. इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए नियमों की व्यवस्था की जा सकती है, जो निम्नवत है; अर्थात् —
<ul style="list-style-type: none"> (क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश, उनका नामांकन और इस लाप में बने रहना; (ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जानेवाले पाठ्यक्रम; (ग) उपाधियों और विद्या सम्बन्धी विशिष्टताओं को प्रदान करना; (घ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक तथा पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें; |

- (ङ.) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा लेने वाले निकायों, परीक्षकों, अन्तर्कां, सारणीकारों तथा अनुसीमकों के नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;
- (घ.) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, सपाधियों और अन्य शौक्षिक विशिष्टताओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क;
- (झ.) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें;
- (ज.) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखने हेतु;
- (झ.) छात्रों से विभिन्न विषयों के लिए शुल्क व जमा राशि लिए जाने हेतु;
- (ञ.) अन्य सभी विषय, जिनके लिए इस अधिनियम के आधीन निर्मित नियमों या परिनियमों में प्राविधान किया जाये।

नियम कैसे बनाये जाये 31. (1) नियम व्यवस्थापक मण्डल द्वारा बनाये जायेंगे और इस प्रकार बनाये गये नियम राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जायेंगे।

नियमों को संशोधित करने की शक्ति 32. व्यवस्थापक मण्डल, राज्य सरकार के पुर्वानुमोदन से नये या अतिरिक्त नियम बना सकेगा या नियमों का संसोधन या निरसन कर सकेगा।

अध्याय — 6

प्रकीर्ण

- उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिये उपलब्ध** 33. (1) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत उत्तराखण्ड के स्थायी निवासियों के लिए आरक्षित की जायेगी, यदि स्थायी निवासियों हेतु आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, तो रिक्त सीटें अन्य छात्रों द्वारा मरी जा सकेगी।
- (2) विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में उपधारा (1) में वर्णित प्रवेशित विद्यार्थियों, जो उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हैं, को निर्धारित शिक्षण शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
- (3) प्रदेश के स्थायी निवासियों को, समूह 'ग' व 'घ' श्रेणी के पदों हेतु योग्यताधारियों की इन श्रेणियों में समस्त पदों पर नियुक्तियों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- कर्मचारियों की सेवाशर्तें** 34. (1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के आधीन की जायेगी, जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को भी दी जायेगी।
- (2) कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विश्वविद्यालय परिनियमों में निहित प्रक्रिया के अनुसार शासित होगी।
- (3) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाले विवाद का समाधान इस सम्बन्ध में बनाये गये परिनियम की प्रक्रिया के अन्तर्गत किया जायेगा।
- (4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को लोकसेवक नहीं समझा जायेगा, और वह हमेशा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए या अन्यथा विश्वविद्यालय के निजी रोजगार के अधीन रहेगा।
- अपील का आधार** 35. विश्वविद्यालय, या क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स के प्रत्येक कर्मचारी को विश्वविद्यालय या किसी ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य, क्षेत्रीय केन्द्रों, अध्ययन केन्द्रों और कैरियर एकेडमिक सैण्टर्स के किसी अधिकारी या प्राधिकारी, यथास्थिति विनिश्चय के विरुद्ध प्रबन्ध मण्डल को, ऐसे समय के अन्दर, जो विहित किया जाए अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्धक मण्डल ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरुद्ध अपील की गयी है पुष्टि उपान्तरित या परिवर्तित कर सकेगा।
- भविष्य निधि एवं पेशन** 36. विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो विहित किये जाएं, ऐसे भविष्य निधि या पेशन निधियों का गठन करेगा जैसा वह उद्धित समझे।
- विश्वविद्यालय प्राधिकरण और निकायों के गठन के बारे में विवाद** 37. यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई स्पष्टित विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में विधिवत नामित या नियुक्त किया गया है, या उसका सदस्य होने का हकदार है तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

- समितियों का गठन**
38. धारा 20 में उल्लेखित विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को ऐसी प्राधिकारी की समीक्षा गठित करने की व्यक्ति होगी, जिसमें ऐसे सदस्य होंगे और जिनकी ऐसी व्यक्तियाँ होंगी, जो ऐसा प्राधिकारी उचित समझें।
- आकस्मिक विविताओं की पूर्ति**
39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से बिन्न सदस्यों में से किसी आकस्मिक विवित की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी, जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी विवित की पूर्ति करनी हो, चुना गया हो और विवित की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अदायित अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति, जिसका स्थान वह भरता है/भरती है सदस्य बना रहता है।
- सदमावना पूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए संश्लण**
40. विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विलाप्त कौई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी भी ऐसे विषय के सम्बन्ध में, जो अधिनियमों या परिनियमों या नियमों के उपबन्धों के अनुसारण में सदमावना पूर्वक की गयी है या की जाने के लिए आवायित है संस्थित नहीं होगी।
- संक्रमणकालीन उपबन्ध**
41. इस अधिनियम व परिनियमों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी—
 (क) धारा 14 व 15 के अध्यवीन प्रथम कुलपति एवं प्रथम प्रति-कुलपति (यदि कौई हो तो), की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
 (ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
 (ग) प्रथम व्यवस्थापक मण्डल तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेगा;
 (घ) प्रथम प्रबन्ध मण्डल, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।
- स्थायी विन्यास निधि**
42. विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार के नाम से प्लेज़ दो करोड़ रुपये की एक स्थायी विन्यास निधि राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारंटी के रूप में स्थापित की जायेगी, जिसकी अवधि पांच वर्ष की होगी, उसके उपरान्त पुनः पांच वर्ष के लिये नवीनीकरण कराया जायेगा।
- सामान्य निधि**
43. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक सामान्य निधि स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात् :—
 (क) विश्वविद्यालय द्वारा लिये जाने वाले सभी शुल्क;
 (ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
 (ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान; और
 (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/ दान।
 (2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आर्वतक व्ययों के लिये किया जायेगा।
- विकास निधि**
44. (1) विश्वविद्यालय द्वारा एक विकास निधि भी स्थापित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित निधियाँ जमा की जायेंगी; अर्थात् :—
 (क) विकास शुल्क, जिसे छात्रों से प्रमारित किया जायें;
 (ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजन के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धनराशि;
 (ग) प्रायोजित संस्था द्वारा किये गये सभी अंशदान;
 (घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान/ दान; और
 (ड) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त समस्त आय।
 (2) समय-समय पर विकास निधि में जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।
- निधि का अनुरक्षण**
45. धारा 42, 43, और 44 के अधीन स्थापित निधियों का, व्यवस्थाक मण्डल के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुये विहित रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा।

- वार्षिक प्रतिवेदन**
46. (1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किया जायेगा और उसे व्यवस्थापक मण्डल के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
(2) व्यवस्थापक मण्डल, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और वह उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित कर सकता है।
(3) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विधिवत् अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।
- लेखा व लेखा परीक्षा**
47. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन पत्र प्रबन्ध मण्डल के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रौद्योगिक या प्राप्त समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की, जिनका संवितरण या भुगतान किया गया है, विश्वविद्यालय द्वारा रखे गये लेखों में प्रविष्टि की जायेगी।
(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा की प्रतिवर्ष लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी जो इन्स्टीट्यूट आर्क चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स आर्क इन्डिया (आई.सी.ए.आई.) के सदस्यों हैं।
(3) लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की एक प्रति प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती 31 दिसम्बर से काफी पहले व्यवस्थापक मण्डल को प्रस्तुत की जायेगी।
(4) व्यवस्थापक मण्डल द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन-पत्र और लेख-परीक्षक सम्बन्धी प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायेगा और व्यवस्थापक मण्डल उन्हें उन पर अपनी अन्युक्तियों के साथ प्रतिवर्ष 31 दिसम्बर से पहले कुलाध्यक्ष (विजिटर) और राज्य सरकार को अप्रसारित करेगा।
- विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति**
48. विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक, रूप से विधिवत् रखी गयी किसी पूँजी की कोई प्रविष्टि यदि कुलसंचय द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या पंजिका में प्रविष्ट होने के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें असिलिखित विषय और संव्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा, जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी हो तो वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होगी।
- विश्वविद्यालय का विघटन**
49. (1) यदि प्रायोजित संस्था द्वारा भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय के गठन और निगमन नियंत्रित करने वाली विधि के अनुसार उसके समाप्त को प्रस्ताव रखती हो तो उसे राज्य सरकार को कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस देना होगा।
(2) विश्वविद्यालय की प्रबन्ध प्रणालियों में कुप्रबन्ध, कुप्रशासन, अनुशासनहीनता, विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति में विफल होना एवं आर्थिक कठिनाइयों की प्रहचान किये जाने पर राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध व्यवस्था को निर्देश जारी करेगी, जिनका ऐसी समय सीमा के अधीन, जैसे विहित की जाये अनुपालन न होने पर विश्वविद्यालय के परिसमाप्त के निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार में निहित होगा।
(3) विश्वविद्यालय का परिसमाप्त ऐसी रीति से किया जायेगा, जो इस विषय राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें, परन्तु यह कि उसके लिये प्रायोजित संस्था को कारण बताओ नोटिस के लिए समुचित अवसर प्रदान किये बिना ऐसी कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की जायेगी।
(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार सांविदिक परिषद् एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से परामर्श करके प्रायोजित संस्था द्वारा विश्वविद्यालय विघटन के प्रस्तावित दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के विधिमित पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी मरिनियमों द्वारा विहित की जाये।
(5) विश्वविद्यालय के विघटन पर सभी सम्पत्ति एवं दायित्व प्रायोजित संस्था (प्रोमोटिंग सोसायटी) में निहित हो जायेगी।
- विश्वविद्यालय के विघटन के समय विश्वविद्यालय के व्यवस्थापक मण्डल के विवरण**
50. (1) धारा 49 के अधीन विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए होने वाला व्यवस्थापक मण्डल के अधीन उसके प्रशासन के लिए विधिमित समय निर्धारित किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधियां, विश्वविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान उसके प्रशासन के लिए प्रयोग नहीं हैं, तो ऐसे व्यय की पूर्ति विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों अथवा आस्तियों के निस्तारण द्वारा की जा सकती है।

कठिनाइयों का निश्चय

51. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो राज्य सरकार अधिसूचना या आदेश द्वारा ऐसे प्राविधान कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो; परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना या आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात नहीं दिया जायेगा।
- (2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

आर०सी० खुल्वे,
प्रमुख सचिव।

No. 344/XXXVI(3)/2016/71(1)/2016
Dated Dehradun, December 19, 2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'Bhagwant Global University Bill, 2016' (Adhiniyam Sankhya 39 of 2016).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 09 December, 2016.